न्यायालय तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 02/2022 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956
अनुवानः–राज्य सरकार बनाम गंगादेवी

निर्णय

दिनांकः–30.05.2022

आज यह पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का **सूडसर** ने अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट. 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश की, कि गैर सायल **गंगादेवी पत्नी नत्थाराम** जाति **जाट** निवासी **सूडसर** द्वारा ग्राम **सूडसर** के **खसरा नम्बर 679/504** तादादी **0.0220** हैक्टेयर किस्म भूमि **गै.मु. रास्ता** भूमि में से **0.0220** हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि पर सम्वत् 2078 में **नाजायज बाड़ बनाकर व स्नानघर बनाकर** अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अतः इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत तामिल कराया गया। गैर सायल ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब के संलग्न माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर के निर्णय दिनांक 06.04.2022 की प्रति का अवलोकन किया। माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार वादगत खसरा नम्बर 679/504 तादादी 0.0220 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता के अंकन के श्रीमान उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ के आदेश दिनांक 11.10.2019 व संशोधित आदेश दिनांक 11.03.2020 को माननीय न्यायालय श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय बीकानेर द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

उक्त जवाब व न्यायालय श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय बीकानेर के निर्णय का अवलोकन करने पर यह ज्ञात हुआ कि माननीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ के रास्ता अंकन के आदेशों को निरस्त करने के बाद धारा 91 की कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः धारा 91 की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफतर हो।

तहसीलदार श्रीडूंगरगढ
जिला बीकानेर

Scanned with CamScanner